संख्या- I/295434/2023/छत्तीस-5-2023-36-5010(099)/3/2020-5

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: २9 मार्च , 2023

विषय उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई- मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) की व्यवस्था लागू की गयी है।

2. उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रम अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-9/2020/717/36-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18 अगस्त, 2020**(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी की गयी थी।

3 कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 18.12.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 4/2022/20/1/91-का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर केवल कंप्यूटर द्वारा रेण्डम आधार पर ही कार्मिक लिये जाने की व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया, इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन प्रक्रिया की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी। तत्क्रम में श्रम अनुभाग-5 के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त,2020 में आंशिक संशोधन करते हुए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतिस्थापित

प्रक्रिया शासनादेश सं0-391/छत्तीस-5-2022-08(26)/2020 दिनांक 20 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जारी किया गया है।

4. उपरोक्त शासनादेशों में विहित प्रक्रिया में रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाये जाने पर उनके उपस्थित न होने तथा जो अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं, उनके उपयुक्त न पाये जाने पर चयन की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने तथा उन चयनित अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर अंकन न हो पाने जैसी समस्याओं के दृष्टिगत श्रम अनुभाग-5 द्वारा जारी आउटसोर्सिंग चयन प्रक्रिया हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 18.08.2020 एवं दिनांक 20.05.2022 में उल्लिखित निर्देशों व श्रम अनुभाग-5 के पत्र सं0-I/237131/2022/छत्तीस-5-2022-(774) दिनांक 18 नवंबर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा लिए गये निर्णयों का समावेश/यथा आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन कर जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नवत नवीन चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा-

(क). विभिन्न विभागों द्वारा मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए जेम पोर्टल से सेवाप्रदाता (नियोजक) का चयन किया जायेगा, जो पंजीकृत बिड अवार्डी कहा जाएगा।

(ख). चयन के उपरांत सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर नियोजक के रूप में अपना एकाउण्ट बनाया जायेगा।

(ग). इसका सत्यापन जिला (जनपद में सेवाप्रदाता के स्थित होने पर) अथवा मुख्यालय (प्रदेश से बाहर के सेवाप्रदाताओं हेतु) स्तर से सेवायोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। सेवायोजन पोर्टल से जेम पोर्टल के इंट्रीग्रेशन के पश्चात यह कार्य आटोमेटिक ए0 पी0 आई0 के माध्यम से हो सकेगा।

(घ). सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा पूर्व के कर्मियों को समाहित करते हुए विभाग हेतु आउटसोर्सिंग की रिक्तियों की गणना की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी विभाग में 100 पद आउटसोर्सिंग से भर्ती हेतु उपलब्ध हैं एवं विभाग द्वारा पूर्व से कार्यरत 30 कार्मिकों को पुनः सेवायोजित किया जाता है तथा 70 नये कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है तो सेवायोजन पोर्टल पर सेवाप्रदाता द्वारा कुल 100 पदों को दर्शाया जायेगा तथा भर्ती की कार्यवाही 70 पदों पर की जायेगी एवं 30 अभ्यर्थियों को "पूर्व से कार्यरत" (प्रतिधारित कार्मिक या Retained Employees) दर्शाया जायेगा।

(ङ). जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरन्तरता भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी। इस हेतु वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही योग्यतानुसार जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल से लिये जायेंगे। सेवाप्रदाता सर्वप्रथम संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व से कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं उनकी सूची प्राप्त करेंगे। सूची प्राप्त करने के उपरान्त उक्त कार्मिकों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए (यदि पूर्व से पंजीकृत

नहीं है) उनका अंकन पूर्व में कार्यरत कर्मियों के अन्तर्गत करेंगे।

(च). **रिक्तियों का अपलोड किया जानाः-** सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा तदोपरान्त आउटसोर्स हेतु रिक्तियां पोर्टल पर "नोटिफाई वैकेन्सी" टैब में क्लिक करके संबंधित विभाग/कार्यालय से उनकी IGRS की I.D. की सूचना लेकर सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। रिक्ति अपलोड की प्रक्रिया में आवश्यक सूचनाओं यथा जेम बिड/आर0ए0/पी0आर0नं0/ आई0जी0आर0एस0 आई0डी0 (BID/RA/PRNo./IGRS ID), आवेदन की अंतिम तिथि, शैक्षिक योग्यता, कार्यस्थल तथा रिक्तियों की संख्या आदि का विवरण अंकित किया जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल से तकनीकी/शैक्षिक योग्यता का परीक्षण करने पर यदि वांछित योग्यता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं पाई जाती है तो उसके (सेवाप्रदाता) द्वारा संबंधित विभाग के माध्यम से पोर्टल पर शैक्षिक योग्यता जुड़वाने हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को पत्र प्रेषित किया जायेगा, तदोपरान्त निदेशालय द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर उस शैक्षिक योग्यता को जोड़ दिया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा रिक्तियों तथा प्रतिधारित कार्मिकों के विवरण का सत्यापन अपनी IGRS की आई.डी. के माध्यम से किया जायेगा। सेवायोजन विभाग द्वारा सर्वर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिगत रिक्ति का प्रकाशन किया जायेगा। पोर्टल पर रिक्ति के प्रकाशन के 24 घंटे उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम तिथि तक आवेदन किया जा सकेगा।

(छ). अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिये पोर्टल से पांच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जायेगा। रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने की अवधि न्यूनतम सात दिन की तथा अधिकतम अवधि 45 दिन की होगी।

(ज). सेवायोजन पोर्टल पर रिक्तियों के प्रकाशन के संबंध में सेवाप्रदाता द्वारा प्रिन्ट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/सोशल मिडिया द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, साथ ही साथ प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों को रिक्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो सके।

(झ). अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित रिक्ति के सापेक्ष आवेदन की प्रक्रिया रिक्ति की अंतिम तिथि तक पूरी की जा सकेगी। नये अभ्यर्थी भी रिक्ति अपलोड होने के पश्चात जॉबसीकर के रूप में पोर्टल पर पंजीकृत होकर आवेदन कर सकेंगे।

(ञ). आवेदन करने की अंतिम तिथि तक रिक्ति के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने पर विभाग द्वारा दूसरी बार तिथि बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार दूसरी बार भी पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने पर विभाग द्वारा तीसरी/अंतिम बार रिक्ति प्रदर्शित करने की कार्यवाही की जायेगी। इन आवेदनों हेतु भी न्यूनतम 7 दिन का समय दिया जायेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि को निम्न कारणों से बढ़ाया जा सकेगा:-

1. प्रशासनीय कारणों से।

2. वांछित संख्या में अभ्यर्थियों (रिक्ति के सापेक्ष 7(क) में वर्णित) द्वारा आवेदन न किये जाने की दशा में।

(ट). अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम तिथि तक अर्ह अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

(ठ). सेवायोजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों में से संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा कम्प्यूटर से रेण्डम आधार पर वर्तमान में प्रचलित तीन सूचियों के स्थान पर एक सूची का निर्माण पोर्टल से किया जायेगा। उक्त रेण्डम सूची (अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से पांच आवेदनकर्ताओं, दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ता उपलब्ध होंगे) केवल इनक्रिप्टेड आई डी के साथ विभाग एवं सेवाप्रदाता को उपलब्ध होगी।

(ड). सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा उपरोक्तानुसार निर्मित इनक्रिप्टेड रेण्डम सूची के अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार का दिनांक, समय एवं स्थान का विवरण संबंधित अभ्यर्थियों को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात सेवाप्रदाता (नियोजक) अपनी विशिष्टि जॉब आई0डी0 से आउटसोर्स हेतु आवेदित अभ्यर्थियों की डिक्रिप्टेड सूची निम्न सूचनाओं सहित डाउनलोड कर सकते है:-

I. विभाग का विवरण/रिक्तियों की संख्या/सेवाप्रदाता(नियोजक)विवरण इत्यादि।

II. रिक्ति अधिसूचन की तिथि।

III. आवेदन की अन्तिम तिथि।

IV. आवेदित अभ्यर्थियों की डिक्रिप्टेड क्रमवार सूची आवेदन की तिथि सहित।

V. तत्पश्चात परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का परीक्षण करते हुए समुचित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. उक्त रेण्डमाइज्ड सूची में से अधिसूचित रिक्तियों से कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयनित होने पर भी चयनित अभ्यर्थियों का अंकन सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर किया जाएगा। इससे अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

6. रेण्डमाइज्ड सूची में से अधिसूचित रिक्तियों से कम संख्या में अभ्यर्थियों का चयन होने पर चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित रिक्तियों से घटाते हुए तथा आवेदित अभ्यर्थियों से उक्त रेण्डमाइज्ड सूची के अभ्यर्थियों को घटाते हुए पुनः अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की सूची रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित की जायेगी, जिस पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। यह प्रक्रिया विभाग द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विज्ञापित होने पर अधिकतम तीन बार की जा सकेगी।

उदाहरण-

I- यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है और उन रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या 1000 है, तो

7(क) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा तैयार रेण्डम सूची 300 आवेदित अभ्यर्थियों की होगी।

चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने पर दो स्थितियां होंगी-

क- चयन प्रक्रिया में वांछित 100 रिक्तियों हेतु रेण्डम सूची से 100 अभ्यर्थियों का चयन पूर्ण। प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

ख-यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष कम अथवा एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है तब-

जैसे-उक्त 100 रिक्तियों हेतु 30 अभ्यर्थियों का ही चयन होता है तो अवशेष 70 रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया हेतु तीन गुना अर्थात 210 अभ्यर्थियों की रेण्डम सूची का निर्माण पूर्व में कुल आवेदित अभ्यर्थियों 1000 मे से प्रथम बार तैयार रेण्डमाइज्ड सूची के 300 अभ्यर्थियों को घटाते हुये तैयार होगी अर्थात् 700 अभ्यर्थियों में से ही 210 अभ्यर्थियों की रेण्डम लिस्ट दूसरी बार कम्प्यूटर द्वारा तैयार होगी, जिनमें से 70 अवशेष रिक्तियों के चयन की कार्यवाही की जाएगी।

अब भी यदि 70 से कम अथवा एक भी अभ्यर्थी का चयन नही होता है तो एक बार और अर्थात तीसरी बार उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत रेण्डम सूची का निर्माण कर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

7. यदि अधिनूचित रिक्तियों के सापेक्ष अवशेष अभ्यर्थियों की संख्या, अवशेष रिक्तियों की संख्या के यथाअपेक्षित गुना से कम हो जाए अथवा रिक्तियों को अधिसूचित किये हुए 90 दिन से अधिक का समय हो जाए तब विभाग द्वारा पुनः सेवायोजन पोर्टल पर रिक्ति का विज्ञापन कराया जायेगा।

8. उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा अपनी लॉग आई0 डी0 के माध्यम से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट डाउनलोड की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित विवरण रहेंगे:-

I. सेवाप्रदाता (नियोजक) का विवरण।

II. विभाग का विवरण।

III. माँग का विवरण।

IV. रिपोर्ट की विशिष्टि आई0 डी0।

V. रिक्तियां अपलोड करने की तिथि/आवेदन की अन्तिम तिथि(तीन बार तिथि बढाये जाने पर उसका विवरण) एवं माँग को लॉक किये जाने की तिथि।

9. अन्ततः सेवाप्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित कार्यालय /विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर अपनी विशिष्ट आई.डी.के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों तथा प्रतिधारित कार्मिकों (Retained Employees) की सूची का परीक्षण/सत्यनिष्ठा की जांच करके आउटसोर्स मैनपावर भर्ती की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण की जायेगी साथ ही सेवायोजन पोर्टल पर नियत लागिन में जाकर तत्संबंधी अंकित की गयी प्रविष्टि का सत्यापन किया जायेगा। तदुपरान्त आउटसोर्स मैनपावर

भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

10. भर्ती प्रक्रिया के पश्चात सेवायोजन कार्यालयों द्वारा आयोजित किये जा रहे रोजगार मेलों में जिला प्रशासन की सहमति प्राप्त कर एवं क्रेता विभाग से समन्वय स्थापित कर आउटसोर्स कर्मियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण भी किया जा सकता है।

11. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संबंधित जिला रोजगार सहायता अधिकारी/सहायक निदेशक, सेवायोजन द्वारा पोर्टल पर संबंधित विभाग द्वारा की गयी चयनित/प्रतिधारित कार्मिकों (Retained Employees) की प्रविष्टि का मिलान क्रेता विभाग के अभिलेखों से किया जायेगा, ताकि शासन को आउटसोर्सिंग अभ्यर्थियों की सही सूचना उपलब्ध हो सके।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार जेम पोर्टल पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु आउटसोर्स प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by अनिल कुमार III
Date: 29-03-2023 14:26:02
Reason: Approved
(अनिल कुमार III)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- /2023/छत्तीस-5-2023, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव